...न हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 15/2020 अनवान ईन्दाराम बनाम दलाराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
13/12/22	**निर्णय/आदेश** पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौजा करडानाडा पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1754/1303 रकबा 90.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी माठ पर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि आई है। प्रार्थीगण की भूमि हड़पने की नीयत से जबरन, बलपूर्वक प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी कर मौके पर कब्जा करने पर उतारू है। दिनांक 21.07.2020 को प्रार्थीगण के घर अप्रार्थीगण लांठियों व हथियारों से लैस होकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बलपूर्वक कब्जा करने पर आये जिसकी रिपोर्ट उसी दिन प्रार्थीगण ने पुलिस थाना सदर बाडमेर में प्रस्तुत कर दी गई। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि में बल पूर्वक कब्जा कर लेते है तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन कर कच्चा–पक्का निर्माण कार्य कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा करडानाडा पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1754/1303 रकबा 90.00 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण मौके की यथा स्थति बनाये रखे तथा कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नही करे। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक जारी कर पाबन्द किया जावें। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा करडानाडा पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के मूल खसरा संख्या 1303 नये खसरा संख्या 1754/1303 की भूमि सेटलमेन्ट के समय मूल गांव रावतसर की सरहद पर होने से वक्त पैमाईश सेटलमेन्ट अधिकारियों ने पैमाईश कर जरीबों से मापकर खसरा कायम किया गया था। इसके विपरित उक्त गावों की सीमाओं पर मूल ग्राम सरली की सरहद पर अप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 191 और खसरा	
सहायक कलक्टर (कारट टेक) बाडमेर		

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 15/2020 अनवान ईन्दाराम बनाम दलाराम**
	संख्या 195 के नये खसरे 629/195, 633/195, 628/195, 630/195, 634/191 व 624/191 की भूमि आई हुई है। दोनों गावों के मध्य सीमाओं के मध्य उक्त खसरा होने से प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 195 पर दक्षिणी भांग पर जबरन कब्जा कर खेत दबाने पर आमदा है। लिहाजा मौजा करडानाडा पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 195 में प्रार्थीगण मौके की यथा स्थति बनाये रखे तथा कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नही करे। प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक जारी कर पाबन्द किया जावें। उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खातेदारी के वादग्रस्त खसरे दानों ही सरहद की सीमाओं पर होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। वादग्रस्त खसरों को रकबे के सम्बन्ध में वाद के निर्णय से ही निस्तारण किया जा सकेगा। लिहाजा दानों पक्षों को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा करडानाडा पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1754/1303 व मौजा गोमाणी बेनिवालों की ढाणी के खसरा संख्या 195 की भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वर्तमान मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर